कार्यालय आयुक्त/सक्षम प्राधिकारी नगर पालिक निगम जबलपुर

कॉलोनी के विकास की अनुमति

दिनाँक : 14/06/2021 अनुमति क्रमाँक : 322/489

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत, निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुऐ

मेसर्स गुरूशरणम एसोसियेट्स 623, अग्रवाल बिल्डिंग बल्देवबाग जबलपुर के पार्टनर श्री पवन कुमार जैन एवं श्री सौरभ जैन द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित (कालोनाईजर) मौजा/ग्राम करमेता नं.बं. 264 प.ह.नं. 78 खसरा नं. 369/1, 370/1, 370/2, 371/1, 371/2, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381/3, 381/4, 381/9, एवं 382 (भाग) का कुल रकबा 4.38 हेक्टेयर में से 4.086 हेक्टेयर

भूमि पर संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा जारी भूमि पर आवासीय भूखंडीय विकास अनुज्ञा अनुमोदन अनुसार विकास कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करने हेतु निम्न शर्तो पर कालोनी विकास की अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) यह अनुमति मात्र कालोनी विकास की अनुमति है इसे भवन की स्वीकृति न माना जावे । आवेदक को भवन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप पृथक आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार भवन स्वीकृति प्राप्त करना होगी ।

(2) संलग्न मानचित्र मात्र विकास कार्यो एवं बंधक संपत्ति को दर्शित करने वाला मापचित्र है प्रकरण में भवन अनुज्ञा हेतु पार्किंग, कव्हरेज, एफ.ए.आर., ऊँचाई संबंधी समस्त आवश्यक गणनाऐं करने के उपरांत ही भवन अनुज्ञा जारी की जावेगी ।

(3) नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तो का पालन करना होगा ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से स्वीकृत अभिन्यास अनुसार भूमि का आवासीय उपयोग हेतु भू-राजस्व संहिता की धारा 172 (4) के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन एवं राजस्व निर्धारण कराना आवश्यक होगा तदोपरांत ही विकास कार्य एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किये जावें।

(5) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा।

(6) नगर निगम द्वारा निष्पादित विकास अनुबंध एवं कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में दी गई शर्तो का पालन करना होगा।

(7) स्थल पर स्थल अभिन्यास सूचना पटल पर लगाना अनिवार्य होगा ।

(8) नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय अनुज्ञा पत्रांक-839/नग्रानि/21/JBLLP7684/08.02.2021 जबलपुर दिनांक 25.02.2021 की अनुमति एवं विकास अनुमति के मानचित्र को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज एवं भवन अनुज्ञा नहीं समझा जावेगा तथा भूमि संबंधी विवाद होने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जावेगी ।

(9) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल से लगी भूमि के विकास की स्थिति में मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल की अनापत्ति/अभिमत अनिवार्य होगा।

(10) प्राधिकरण की भूमि से लगी भूमि होने की स्थिति में प्राधिकरण से एन.ओ.सी.लेना होगी ।

(11) विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से आवश्यक अनापत्तियाँ प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी । (यदि लागू हो)

(12) भूमि का सक्षम कार्यालय से सीमांकन कराने के पश्चात् अनुमोदित विकास अनुज्ञा के अनुसार स्थल पर चिन्हित करवाकर अनुमोदित विकास अनुज्ञा का स्थल पर सत्यापन इस कार्यालय से एक माह की अवधि के अन्दर करवाना आवश्यक होगा जो कि अंतिम विकास अनुज्ञा का अनुमोदन होगा । अन्यथा यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

(13) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघंन एवं भू-राजस्व संहिता 1959, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के प्रावधान नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम 1976 एवं अन्य प्रचलित नियमों, अधिनियमों के उल्लघंन एवं संबंधित विभागो से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करने की स्थिति मे यह विकास अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

(14) सीवर लाईन का प्रावधान किया जाकर सेप्टिक टैंक तथा एस.टी.पी. का निर्माण तथा इसे निगम की सीवर लाईन/नाली से जोड़ने का कार्य कालोनाईजर को स्वयं के व्यय पर करना होगा ।

(15) निस्तारी जल एवं वर्षाजल निकासी हेतु आवश्यक समुचित जल निकासी विकास सुनिश्चित करें जिससे जल प्लावन की स्थिति निर्मित न हो । भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार भू-जल संवर्धन प्रणाली की स्थापना प्रत्येक भूखण्ड पर करना होगी ।

(16) मुख्य नाले एवं पहुँच मार्ग का निर्माण विकास कर्ता कालोनाईजर को स्वयं के व्यय पर करना होगा ।

(17) भूमि से गुजरने वाली 11 K.V. विद्युत लाईनों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के पश्चात् ही विकास कार्य प्रारंभ करें ।

(18) आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के भूखण्ड/भवनों का विकास/निर्माण अनुमोदित अभिन्यास अनुसार प्रथमतः करना होगा । कार्य पूर्ण उपरांत आवंटन कार्यवाही से नगर निगम को अवगत करावें (यदि प्रकरण में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है तभी लागू)

(19) आंतरिक विकास कार्य के एवज् में अनुबंध पंजीयन दिनांक 03/06/2021 अनुसार बंधक संपत्ति का विवरण **वाणिज्यिक भूखंड क्रमांक C-1 से C-14 एवं C-61 से C-71 तक कुल 25 नग भूखंड = 1974.96 वर्गमीटर एवं रहवासी भूखंड क्रमांक 211 से 246 = 36 नग भूखंड कुल 61 भूखंड एरिया = 3878.84** जो संलग्न अभिन्यास मानचित्र में लाल रंग से दर्शित अनुसार बंधक रखे गए है ।

(20) आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कालोनाईजर द्वारा 3 वर्षो के अंदर पूर्ण कराने होगें तथा विकास कार्य पूर्णता प्राप्त करने के साथ ही विकसित की गई कालोनी संधारण हेतु रहवासी कल्याण समिति (RWA) का अंतरित करने का विवरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

(21) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं उनकी सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित् करना होगें ।

(22) निर्माण/विकास कार्यो में संबद्ध मजदूरों के लिये कार्यस्थल पर शौचालय का निर्माण कराना होगा । प्रत्येक 5 (पाँच) मजदूरों के मान से एक शौचालय आवश्यक होगा । महिला मजदूरों के लिए पृथक से व्यवस्था किया जाकर इस कार्यालय को अनिवार्यतः सूचित किया जाना आवश्यक होगा ।

(23) म.प्र. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2016 के अनुसार परियोजना का पंजीयन कराना एवं उक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

14/06/2021

वास्ते/- सक्षम प्राधिकारी
नगर पालिक निगम, जबलपुर

...भूखण्ड/भवन क्रमांक वाणिज्यिक भूखंड क्र० C-1 से C-14 एवं C-61 से C-71 कुल 25 नग भूखंड = ... भूखंड क्र० 211 से 246 = 36 नग भूखंड = 3878.84 वर्गमीटर
कुल नग............संलग्न अभिन्यास में लाल रंग से दर्शित किये गये है
2. यह मानचित्र पंजीकृत विकास अनुबंध दिनांक........विकास अनुमति क्रमांक 322/489...दिनांक..........का सह पत्र है। इसे भवन स्वीकृति मानचित्र न माना जावे। 14/06/2021
3. यह मानचित्र विकास कार्य दर्शित करने हेतु तैयार किया गया है, इस मानचि... एवं T&CP द्वारा अनुमोदित मानचित्र में किसी प्रकार का अंतर होने की दशा में T&CP के पत्र क्रमांक.....829.....दिनांक 25/02/2021...द्वारा अनुमोदित मानचित्र प्रभावशील होगा।
4. आयुक्त/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दिनांक 06/03/2021

09/06/2021
उपयंत्री
कालोनी सेल
नगर निगम जबलपुर

कार्यपालन यंत्री 14/06/2021
कालोनी सेल
नगर निगम जबलपुर

कालोनी विकास अनुमति क्रमांक 322/489 14/06/2021

COMMERCIAL PLOTS

S.NO.	LIG PLOT SIZE	AREA SQFT.
C1	ODD SIZE	347.22
C2	ODD SIZE	367.10
C3	ODD SIZE	433.30
C4	ODD SIZE	499.40
C5	ODD SIZE	565.60
C6	ODD SIZE	631.70
C7	ODD SIZE	697.90
C8	ODD SIZE	758.20
C9	ODD SIZE	797.70
C10	ODD SIZE	835.60
C11	ODD SIZE	970.60
C12	ODD SIZE	996.70
C13	ODD SIZE	1250.00
C14	ODD SIZE	977.20
C61	ODD SIZE	1228.80
C62	ODD SIZE	817.50
C63	ODD SIZE	842.80
C64	ODD SIZE	868.10
C65	ODD SIZE	893.20
C66	ODD SIZE	917.41
C67	ODD SIZE	940.90
C68	ODD SIZE	964.20
C69	ODD SIZE	987.2
C70	ODD SIZE	1002.0
C71	ODD SIZE	1660.0
	SQFT	21250.33
	SQMI	1974.9377

RESIDENTIAL PLOT

S.NO.	PLOT SIZE	AREA SQFT.		PLOT SIZE	AREA SQFT.	S.NO	PLOT SIZE	AREA SQFT	S.NO.	PLOT SIZE	AREA	S.NO.	PLOT SIZE	AREA SQFT	S.NO.	PLOT SIZE	AREA SQFT	S.NO.	PLOT SIZE	AREA SQFT	S.NO.	PLOT SIZE	AREA SQFT
15	ODD SIZE	868.00	42	ODD SIZE	1248.00	83	26'-9"X50'	1337.50	115	26'9"X40'	1070	147	26'9"X40'	1070	179	26'9"X40'	1070	211	ODD SIZE	2068.0	243	20'X45'	900
16	ODD SIZE	946.00	43	ODD SIZE	1232.00	84	20'-0"X50'-0"	1000.00	116	20'X40'	800.00	148	20'0"X40'	800.00	180	20'0"X40'	800.00	212	ODD SIZE	2223.00	244	20'X45'	900
17	ODD SIZE	932.00	44	ODD SIZE	1216.00	85	20'-0"X50'-0"	1000.00	117	20'X40'	800.00	149	20'0"X40'	800.00	181	20'0"X40'	800.00	213	ODD SIZE	2248.00	245	20'X45'	900
18	ODD SIZE	917.00	45	ODD SIZE	962.00	86	20'-0"X50'-0"	1000.00	118	20'X40'	800.00	150	20'0"X40'	800.00	182	20'0"X40'	800.00	214	ODD SIZE	2273.00	246	ODD SIZE	1045.00
19	ODD SIZE	901.00	46	ODD SIZE	951.00	87	20'-0"X50'-0"	1000.00	119	20'X40'	800.00	151	20'0"X40'	800.00	183	20'0"X40'	800.00	215	ODD SIZE	2289.00	247	27'X33'	891.00
20	ODD SIZE	883.00	47	ODD SIZE	940.00	88	20'-0"X50'-0"	1000.00	120	20'X40'	800.00	152	20'0"X40'	800.00	184	20'0"X40'	800.00	216	ODD SIZE	2295.00	248	26'X33'	858.00
21	ODD SIZE	864.00	48	ODD SIZE	930.00	89	20'-0"X50'-0"	1000.00	121	20'X40'	800.00	153	20'0"X40'	800.00	185	20'0"X40'	800.00	217	ODD SIZE	1840.00			5494.0000
22	ODD SIZE	846.00	49	ODD SIZE	921.00	90	20'-0"X50'-0"	1000.00	122	20'X40'	800.00	154	20'0"X40'	800.00	186	20'0"X40'	800.00	218	20' X 50'	1000.00			
23	ODD SIZE	828.00	50	ODD SIZE	934.00	91	20'-0"X50'-0"	1000.00	123	20'X40'	800.00	155	20'0"X40'	800.00	187	20'0"X40'	800.00	219	ODD SIZE	1247.00			
24	ODD SIZE	811.00	51	ODD SIZE	954.00	92	20'-0"X50'-0"	1000.00	124	20'X40'	800.00	156	20'0"X40'	800.00	188	20'0"X40'	800.00	220	20'X45'	900.00			
25	ODD SIZE	831.00	52	ODD SIZE	974.00	93	20'-0"X50'-0"	1000.00	125	20'X40'	800.00	157	20'0"X40'	800.00	189	20'0"X40'	800.00	221	ODD SIZE	1000.00			
26	ODD SIZE	1089.00	53	ODD SIZE	993.00	94	20'-0"X50'-0"	1000.00	126	20'X40'	800.00	158	20'0"X40'	800.00	190	20'0"X40'	800.00	222	ODD SIZE	855.00			
27	ODD SIZE	887.00	54	ODD SIZE	1003.00	95	20'-0"X50'-0"	1000.00	127	20'X40'	800.00	159	20'0"X40'	800.00	191	20'0"X40'	800.00	223	ODD SIZE	852.00			
28	ODD SIZE	844.00	55	ODD SIZE	1005.00	96	20'-0"X50'-0"	1000.00	128	20'X40'	800.00	160	20'0"X40'	800.00	192	20'0"X40'	800.00	224	ODD SIZE	965.00			
29	ODD SIZE	802.00	56	ODD SIZE	1002.00	97	20'-0"X50'-0"	1000.00	129	20'X40'	800.00	161	20'0"X40'	800.00	193	20'0"X40'	800.00	225	ODD SIZE	1007.00			
30	ODD SIZE	760.00	57	ODD SIZE	1005.00	98	27'-0"X50'-0"	1348.00	130	26'9"X40'	1070.00	162	26'7.5"X40'	1065.00	194	26'6"X40'	1060.00	226	ODD SIZE	710.00			24746.4340
31	ODD SIZE	717.00	58	ODD SIZE	1010.00	99	27'-0"X40'-0"	1075.00	131	26'9"X40'	1071.00	163	26'7.5"X40'	1065.00	195	26'6"X40'	1060.00	227	ODD SIZE	699.00			29194.00
32	ODD SIZE	675.00	59	ODD SIZE	1012.00	100	20'-0"X40'-0"	800.00	132	20'X40'	800.00	164	20'0"X40'	800.00	196	20'0"X40'	800.00	228	20'4.5"X47'	957.39			30030.50
33	ODD SIZE	838.00	60	ODD SIZE	1011.00	101	20'-0"X40'-0"	800.00	133	20'X40'	800.00	165	20'0"X40'	800	197	20'0"X40'	800	229	ODD SIZE	935.0			26681.00
34	26'.9.5"X50'-0"	1339.50	72	ODD SIZE	935.00	102	20'-0"X40'-0"	800.00	134	20'X40'	800.00	166	20'0"X40'	800	198	20'0"X40'	800	230	ODD SIZE	901.00			26660.00
35	20'-0"X50'-0"	1000.00	73	ODD SIZE	873.00	103	20'-0"X40'-0"	800.00	135	20'X40'	800.00	167	20'0"X40'	800.00	199	20'0"X40'	800.00	231	ODD SIZE	916.00			26670.0000
36	20'-0"X50'-0"	1000.00	74	ODD SIZE	838.00	104	20'-0"X40'-0"	800.00	136	20'X40'	800.00	168	20'0"X40'	800.00	200	20'0"X40'	800.00	232	ODD SIZE	931.00			37991.3900
37	20'-0"X50'-0"	1000.00	75	ODD SIZE	835.00	105	20'-0"X40'-0"	800.00	137	20'X40'	800.00	169	20'0"X40'	800.00	201	20'0"X40'	800.00	233	ODD SIZE	899.00			5494.00
38	20'-0"X50'-0"	1000.00	76	ODD SIZE	843.00	106	20'-0"X40'-0"	800.00	138	20'X40'	800.00	170	20'0"X40'	800.00	202	20'0"X40'	800.00	234	ODD SIZE	877.00		SQFT	207467.3240
39	20'-0"X50'-0"	1000.00	77	ODD SIZE	832.00	107	20'-0"X40'-0"	800.00	139	20'X40'	800.00	171	20'0"X40'	800.00	203	20'0"X40'	800.00	235	ODD SIZE	860.00		SQMT	19281.3498
40	20'-0"X50'-0"	1000.00	78	ODD SIZE	794.00	108	20'-0"X40'-0"	800.00	140	20'X40'	800.00	172	20'0"X40'	800.00	204	20'0"X40'	800.00	236	ODD SIZE	840.00			
41	23'-4.5"X50'-0"	1167.93	79	ODD SIZE	773.00	109	20'-0"X40'-0"	800.00	141	20'X40'	800.00	173	20'0"X40'	800.00	205	20'0"X40'	800.00	237	ODD SIZE	956.00			
			80	ODD SIZE	1065.00	110	20'-0"X40'-0"	800.00	142	20'X40'	800.00	174	20'0"X40'	800.00	206	20'0"X40'	800.00	238	ODD SIZE	854.00			
			81	ODD SIZE	1011.0	111	20'-0"X40'-0"	800.00	143	20'X40'	800.00	175	20'0"X40'	800.00	207	20'0"X40'	800.00	239	ODD SIZE	894.00			
			82	ODD SIZE	1092.0000	112	20'-0"X40'-0"	800.00	144	20'X40'	800.00	176	20'0"X40'	800.00	208	20'0"X40'	800.00	240	20'X45'	900.00			
					29194.000	113	20'-0"X40'-0"	800.00	145	20'X40'	800.00	177	20'0"X40'	800.00	209	20'0"X40'	800.00	241	20'X45'	900.00			
						114	26'-9"X40'-0"	1070.00	146	26'9"X40'	1070.00	178	26'9"X40'	1070.00	210	26'9"X40'	1070.00	242	20'X45'	900.00			
	SQFT	24746.4340		SQFT	29194.0000		SQFT	30030.5000		SQFT	26681.0000		SQFT	26670.0000		SQFT	26680.00		SQFT	37991.3900			

PLAN SHOWING THE PROPOSED "SHRI VIDHYA SAGAR VIHAR" RESIDENTIAL PLOTTED COLONY LAYOUT PLAN AT MOUZA- KARMETA, P.C. NO.-78, KH. NO.- 369 /1 ,370/ 1, 370/2 , 371/1 , 371 /2, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381 /3, 381/4, 381/9, 382, R.N.M. MAHARAJPUR, TEHSIL PANAGAR, DISTT. JABALPUR, (M.P.)

LAND OWENER
1- SHRI PAWAN KUMAR JAIN
S/o SHRI PRAKASH CHAND JAIN
2- SHRI SOURABH JAIN
S/o SHRI KAILASH CHANDRA JAIN
3- SHRI PRAKASH AGRAWAL
S/o SHRI LATE VISHWANATH PRASAD AGRAWAL
4- SHRI SUDARSHAN CHOUBEY
S/o LATE SHRI RADHIKA PRASAD CHOUBEY
DEVELOPERS
M/S GURUSHARNAM ASSOCIATES
THROUGH IT'S PARTNERS
1- SHRI PAWAN KUMAR JAIN
S/o SHRI PRAKASH CHAND JAIN
2- SHRI SOURABH JAIN
S/o SHRI KAILASH CHANDRA JAIN

S.No.	KHASRA	HECT.	THIS PROPOSAL SQMT
01	KH.NO.- 369/1	0.5410	5410
02	KH.NO.- 370/1	0.060	600
03	KH.NO.- 370/2	0.060	600
04	KH.NO.- 371/1	0.2020	2020
05	KH.NO.- 371/2	0.2020	2020
06	KH.NO.- 372	0.3160	3160
07	KH.NO.- 373	0.1250	1250
08	KH.NO.- 374	0.2750	2750
09	KH.NO.- 376	0.3520	3520
10	KH.NO.- 377	0.5990	5990
11	KH.NO.- 378	0.5750	5750
12	KH.NO.- 379	0.3560	3560
13	KH.NO.- 380	0.1540	1540
14	KH.NO.- 381/3	0.0850	850
15	KH.NO.- 381/4	0.0850	850
16	KH.NO.- 381/9	0.0450	450
17	KH.NO.-382 PART	0.348	542.71sqmt. (FROM 0.348. HE.)
	TOTAL	4.38	40862.71 SQMT

AREA STATEMENT

LAND AREA FOR THIS PROPOSAL	= 40862.71 SQ.MT(4.38 HACT.)
AREA UNDER ROAD WINDING	= 137.93 SQ.MT.
PLANTATIONS AREA	= 141.24 SQ.MT
NET LAND AREA FOR THIS PROPOSAL	= 40583.54 SQ.MT 100%
PLOTTABLE LAND AREA	=19281.35 SQ.MT 47.51%
COMMERCIAL LAND AREA	= 1974.96 SQ.MT 4.83%
AREA UNDER ROAD	= 12940.08 SQ.MT 31.94%
GARDEN AREA	= 4376.72 SQ.MT 10.78%
SERVICE AREA	= 656.51 SQ.MT 1.61%
TOTAL PLOT NO	= 223NO
E.W.S. / L.I.G. CALCULATION	
E.W.S. LAND AREA	= 706.65 SQ.MT
L.I.G. LAND AREA	= 647.27 SQ.MT
L.I.G. & E.W.S. LAND AREA	= 1353.92 SQ.MT 3.33%
E.W.S. & L.I.G. REQUITED	
TOTAL PLOT	223
223 PLOTS @ 15 %	33.45 SAY 33
E.W.S. 60%	19.8 nos. SAY 20
L.I.G. 40%	13.2 nos. SAY 13

Ar. Neeraj Agrawal
C.O.A NO: 96/19351

Pawan
OWNER SIGNATURE

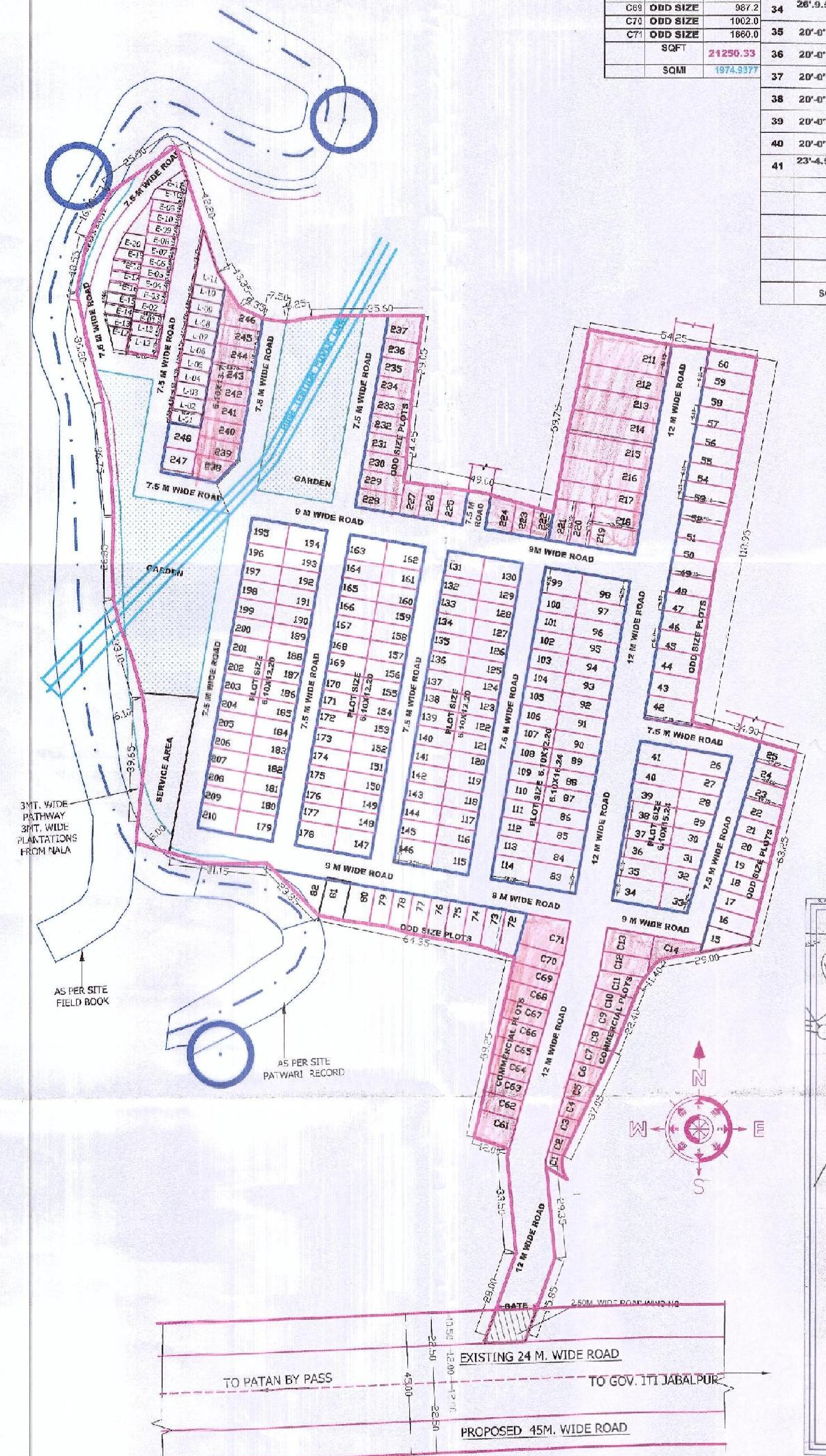

LAYOUT PLAN
SCALE : 1:500

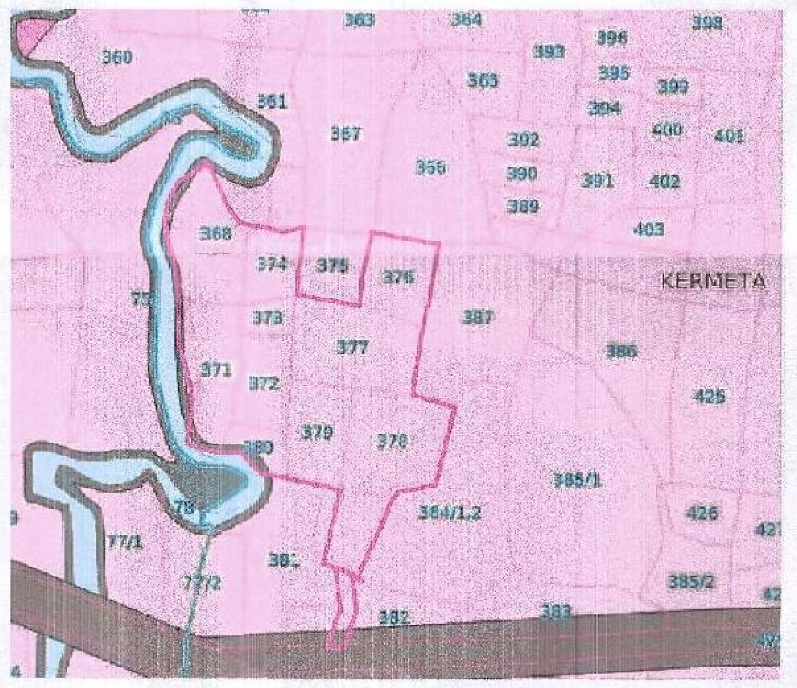

LAND USE MAP

GOOGLE MAP

LIG			EWS		
S.NO	LIG PLOT SIZE	AREA SQMT.	S.NO.	LIG PLOT SIZE	AREA SQMT.
1	4.5X10.05	45.26	1	3.6X10.00	36.00
2	4.5X10.05	45.26	2	3.6X10.00	36.00
3	4.5X10.05	45.26	3	3.6X10.00	36.00
4	4.5X10.05	45.26	4	3.6X10.00	36.00
5	4.5X10.05	45.26	5	3.6X10.00	36.00
6	4.5X10.05	45.26	6	3.6X10.00	36.00
7	4.5X10.05	45.26	7	3.6X10.00	36.00
8	4.5X10.05	45.26	8	3.6X10.00	36.00
9	4.5X10.05	45.26	9	3.6X10.00	36.00
10	4.5X10.05	45.26	10	3.6X10.7	38.52
11	ODD SIZE	94.16	11	ODD SIZE	38.51
12	4.5X10.05	55.00	12	ODD SIZE	40.00
13	4.5X10.05	45.50	13	3.6X7.92	28.51
0		647.27	14	3.6X8.92	32.11
			15	3.6X9.15	32.94
			16	3.6X9.15	32.94
			17	3.6X9.15	33.94
			18	3.6X9.15	34.94
			19	3.6X8.72	31.39
			20	ODD	38.85
			0		706.6500

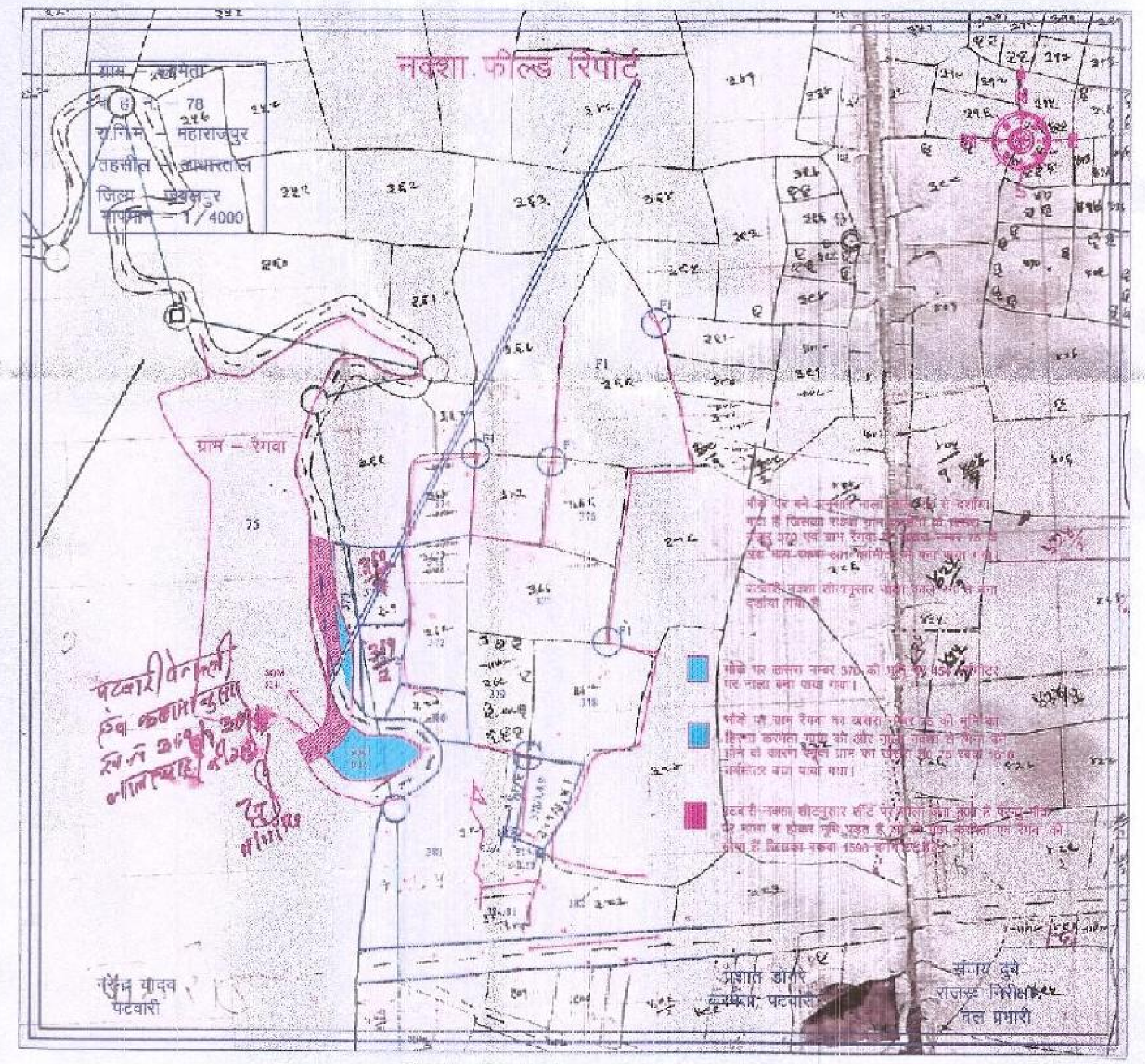

FIELD BOOK MAP

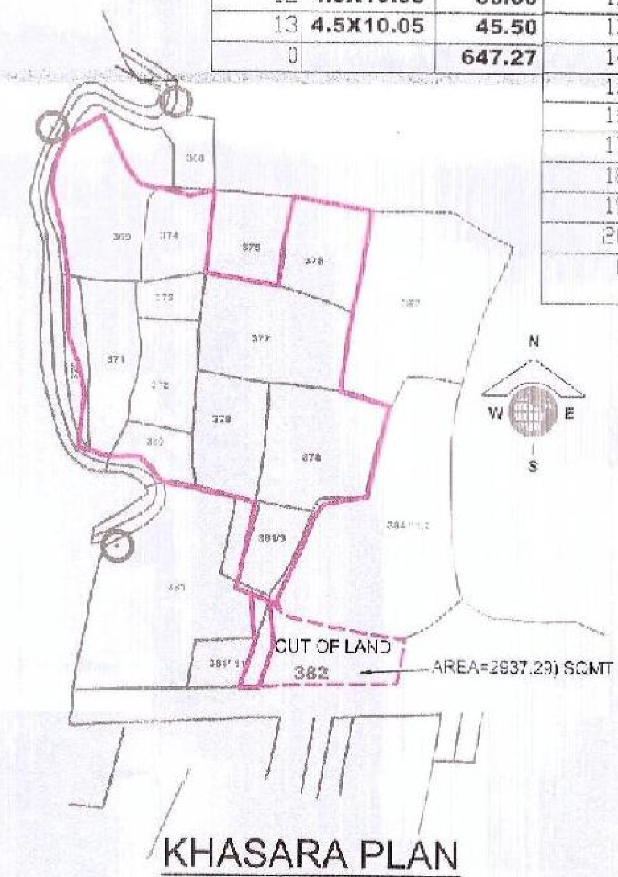

KHASARA PLAN
SCALE : 1:4000

DESIGN UNIT
ARCHITECTS,INTERIOR DESIGNERS
JABALPUR - FF- 7, RAJUL COMPLEX, AGA CHOWK,
PH. 0761-2441465, Mo. 9425156116
email : designunit333@gmail.com